



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

Prof. Krishna Kumar Singh

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 005/2014/UGC-MHRD/10/2018/998

दिनांक : 01. 10. 2018

सूचना

सभी विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों/प्रभारियों से अनुरोध है कि वे *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018* के आलोक में अपने विभाग/केंद्र हेतु **विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा नामसूची (डीएआईपी)/ Departmental Academic Integrity Panel (DAIP)** का गठन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नानुसार करने का कष्ट करें-

क. अध्यक्ष : विभागाध्यक्ष

ख. सदस्य : कुलपति द्वारा नामित विभाग से इतर एक वरिष्ठ शिक्षाविद।

ग. सदस्य : विभागाध्यक्ष द्वारा नामित साहित्यिक चोरी के साधनों से भली-भांति परिचित एक व्यक्ति।

बिंदु 'ख' तथा 'ग' के संबंध में सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति 3 में से 2 सदस्यों द्वारा होगी (अध्यक्ष सहित)।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. डीन, अकादमिक।
5. डीन, शोध।
6. सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी।
7. परीक्षा विभाग।
8. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
9. पुस्तकालयाध्यक्ष।
10. सहायक कुलसचिव (स्थापना एवं प्रशासन)।
11. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
12. कार्यालय प्रति।